18—10—22	अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम पिथरासर के खेत खसरा नम्बर 299/111 रकबा 79 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 524 रकबा 12.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 525 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 526 रकबा 7.12 हेक्टर कुल तादादी 20.11 हेक्टर भूमि अपीलांट् के कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर मौके पर चारो तरफ से बाढ़ बनी हुई है। वादग्रस्त भूमि से रेस्पोडेन्ट्स का कोई सरोकार नहीं है ना ही उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त ही है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अपीलांट् की खातेदारी भूमि है। वादग्रस्त भूमि के मौके पर बनी हुई सींव को हटाने व मौके पर व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 21—02—2014 को अपीलांट् के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की गई कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थी को जबरिया बेदखल नहीं करें ना ही किसी से कब्जा करावें तथा कब्जा काश्त में दखंलदाजी न करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बहाल रखे। उक्त स्थगन आदेश वर्ष 2014 से दिनांक 22—07—2022 तक निरन्तर चलता रहा है।	

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उभय पक्षों की बहस हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 29–07–2022 नियत की गई थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त दिनांक से पूर्व ही दिनांक 22–07–2022 को अपीलांट्/प्रार्थी को सुने बिना ही धारा 151 के प्रार्थना पत्र पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में पैमाईश की हद तक शिथिलता प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये गये। अदालत मातहत के उक्त आदेश से अपीलांट् को उसकी खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जा रही है तथा मौके पर बनी हुई सींव को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित हो रही है। अदालत मातहत की उक्त कार्यवाही पूर्ण रूप से मनमर्जी से की गई कार्यवाही व मात्र रेस्पोडेन्ट्स को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से की गई कार्यवाही है। जब प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष दोनों पक्षों की बहस हेतु दिनांक 29–07–2022 को निर्धारित था तो ऐसी क्या परिस्थितियॉ उत्पन्न हो गई कि उक्त दिनांक से पूर्व ही अपीलांट्/प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही पूर्व निर्धारित दिनांक से पहले दिनांक 22–07–2022 को आठ वर्ष पूर्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में पैमाईश की हद तक शिथिलता प्रदान की गई। चूंकि वादग्रस्त भूमि जिस पर पैमाईश की हद तक शिथिलता प्रदान की गई है, अपीलांट् की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा अपीलांट् को बेदखल किया जाता है तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा, जिसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–07–2022 की पालना स्थगित फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि तहसील नोखा के ग्राम पिथरासर के खेत खसरा नम्बर 299/111 रकबा 79 बीघा 10 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 524 रकबा 12.64 हेक्टर, खसरा नम्बर 525 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 526 रकबा 7.12 हेक्टर कुल तादादी

20.11 हेक्टर भूमि के बाबत् पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में अपीलाधीन आदेश के माध्यम से पैमाईश की हद तक शिथिलता प्रदान किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात् हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 22–07–2022 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में मामला जनसुखाचार का मानते हुए पैमाईश की हद तक शिथिलता प्रदान करते हुए पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29–07–2022 नियत की गई है। अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर निस्तारण करवाये जाने के स्थान पर प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित कराने की चेष्टा की गई है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं पाते है। अपीलांट् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व प्रस्तुत अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(ए.एच.गौरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।